



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052022-235960
CG-DL-E-23052022-235960

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2237]
No. 2237]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2022/ज्येष्ठ 2, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2022/JAISTHA 2, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2022

सं. 09 / 2015-2020

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 29 और 30 के तहत आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 2357(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारतीय सीमाशुल्क प्रशुल्क 2022 के अनुसार मद विवरण में और आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 29 और 30 के निम्नलिखित एचएस कोड की नीतिगत शर्त में संशोधन करती है:

एचएस कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत भारत	संशोधित नीतिगत भारत
2937	हार्मोन्स, प्रोस्टोग्लैन्डिन्स, थ्रोम्बोक्सेन्स और ल्यूकोट्राइन्स, प्राकृतिक या संश्लेषण द्वारा पुनः उत्पादित; उनके डेरिवेटिव्स और संरचनात्मक अनुरूप, श्रृंखला	—	—	—

	संशोधित पॉलीपेप्टाइड्स सहित जिसका मुख्य रूप से हार्मोन के रूप में उपयोग किया जाता है।			
29371900	पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, उनके डेरिवेटिव और संरचनात्मक अनुरूप: -- अन्य	मुक्त	ऑक्सीटोसिन का आयात निषिद्ध है	ऑक्सीटोसिन का आयात निषिद्ध है। तथापि, ऑक्सीटोसिन संदर्भ मानकों के आयात की अनुमति विशेष रूप से परीक्षण और विश्लेषण के लिए है, बशर्ते कि डीजीसीआई/सीडीसीएसओ द्वारा जारी परीक्षण लाइसेंस प्रस्तुत किया जाए।
29372900	स्टैरॉयडल हार्मोन, उनके डेरिवेटिव और संरचनात्मक अनुरूप: -- अन्य	मुक्त	ऑक्सीटोसिन का आयात निषिद्ध है	ऑक्सीटोसिन का आयात निषिद्ध है। तथापि, ऑक्सीटोसिन संदर्भ मानकों के आयात की अनुमति विशेष रूप से परीक्षण और विश्लेषण के लिए है, बशर्ते कि डीजीसीआई/सीडीसीएसओ द्वारा जारी परीक्षण लाइसेंस प्रस्तुत किया जाए।
29379019	--- कैटेकोलामाइन हार्मोन्स, उनके डेरिवेटिव्स और संरचनात्मक अनुरूप: ---- अन्य	मुक्त	ऑक्सीटोसिन का आयात निषिद्ध है	ऑक्सीटोसिन का आयात निषिद्ध है। तथापि, ऑक्सीटोसिन संदर्भ मानकों के आयात की अनुमति विशेष रूप से परीक्षण और विश्लेषण के लिए है, बशर्ते कि डीजीसीआई/सीडीसीएसओ द्वारा जारी परीक्षण लाइसेंस प्रस्तुत किया जाए।
29379090	अन्य	मुक्त	ऑक्सीटोसिन का आयात निषिद्ध है	ऑक्सीटोसिन का आयात निषिद्ध है। तथापि, ऑक्सीटोसिन संदर्भ मानकों के आयात की अनुमति विशेष रूप से परीक्षण और विश्लेषण के लिए है, बशर्ते कि डीजीसीआई/सीडीसीएसओ द्वारा जारी परीक्षण लाइसेंस प्रस्तुत किया जाए।
3004 के तहत 8 डिजिट स्तर पर सभी एचएस कोड	चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के लिए मिश्रित या गैर-मिश्रित उत्पादों से युक्त दवाएं (शीर्ष 30.02, 30.05 या 30.06 के माल को छोड़कर), खुदरा बिक्री के लिए मापी गई खुराकों में (ट्रान्सडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के रूप में शामिल) या रूपों या पैकिंग में रखी गई।	मुक्त	ऑक्सीटोसिन का आयात निषिद्ध है	ऑक्सीटोसिन का आयात निषिद्ध है। तथापि, ऑक्सीटोसिन संदर्भ मानकों के आयात की अनुमति विशेष रूप से परीक्षण और विश्लेषण के लिए है, बशर्ते कि डीजीसीआई/सीडीसीएसओ द्वारा जारी परीक्षण लाइसेंस प्रस्तुत किया जाए।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

ऑक्सीटोसिन का आयात "निषिद्ध" रहेगा। तथापि, एचएस कोड 29371900, 29372900, 29379019, 29379090 के तहत आने वाले ऑक्सीटोसिन संदर्भ मानकों और 3004 के तहत 8 अंकों के स्तर पर सभी एचएस कोडों के आयात की अनुमति विशेष रूप से परीक्षण और विश्लेषण के उद्देश्य से है, बशर्ते कि डीजीसीआई/सीडीसीएसओ द्वारा जारी परीक्षण लाइसेंस प्रस्तुत किया जाए।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/Misc-3/एम-05/पीसी-2[ए]/ई-1477]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd May, 2022

No. 09 /2015-2020

Subject: Amendment in import policy condition under Chapter 29 and 30 of ITC (HS) 2022, Schedule - I (Import Policy).

S.O. 2357(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby makes amendment in the item description in accordance with the Customs Tariff of India 2022 and policy condition of the following HS codes of Chapter 29 and 30 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy):

HS Code	Item Description	Import Policy	Existing Condition	Policy	Revised Policy Condition
2937	Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones.	-	-	-	-
29371900	Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives and structural analogues : -- Other	Free	Import of Oxytocin is Prohibited		Import of Oxytocin is Prohibited. However, import of Oxytocin reference standards is allowed exclusively for test and analysis subject to submission of Test License issued by the DGCI / CDCSO.
29372900	Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues : -- Other	Free	Import of Oxytocin is Prohibited		Import of Oxytocin is Prohibited. However, import of Oxytocin reference standards is allowed exclusively for test and analysis subject to submission of Test License issued by the DGCI / CDCSO.
29379019	--- Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues: ---- Other	Free	Import of Oxytocin is Prohibited		Import of Oxytocin is Prohibited. However, import of Oxytocin reference standards is allowed exclusively for test and analysis subject to submission of Test License issued by the DGCI / CDCSO.
29379090	Other	Free	Import of Oxytocin is Prohibited		Import of Oxytocin is Prohibited. However, import of Oxytocin reference standards is allowed exclusively for test and analysis subject to submission of Test License issued by the DGCI / CDCSO.
All HS codes at 8 digit under 3004	Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or	Free	Import of Oxytocin is Prohibited		Import of Oxytocin is Prohibited. However, import of Oxytocin reference standards is allowed exclusively for test and analysis subject to submission of Test License

	unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale			issued by the DGCI / CDCSO.
--	---	--	--	-----------------------------

2. Effect of this Notification:

Import of Oxytocin shall remain "Prohibited". However, import of Oxytocin reference standards falling under HS Codes 29371900, 29372900, 29379019, 29379090 and all HS Codes at 8 digit level under 3004 is permitted exclusively for the purpose of test and analysis subject to submission of Test License issued by the DGCI / CDCSO.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-3/AM-05/PC-2[A]/E-1477]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade and
Ex-Officio Addl. Secy.